राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3097/2023

राम प्रसाद रैगर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. जयपुर विकास प्राधिकरण, जेएलएन मार्ग, जयपुर जरिये सचिव।
4. संयुक्त शासन सचिव, यूडीएच (ग्रुप–3) विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.11.2023
आदेश की दिनांक : 29.10.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री कुशल यादव, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 27.04.2023 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2023–24 के विरूद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण के पदों के विरूद्ध अतिरिक्त मुख्य अभियंता सिविल के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति जयपुर विकास प्राधिकरण में कनिष्ठ अभियंता के पद पर दिनांक 06.01.1994 को अनुसूचित जाति वर्ग से हुई थी और अपीलार्थी को आदेश दिनांक 19.02.2004 के द्वारा सहायक अभियंता के पद पर तथा आदेश दिनांक 13.04.2010

के द्वारा अधिशाषी अभियंता तथा रिक्ति वर्ष 2014–15 के विरूद्ध आदेश दिनांक 22.12.2015 के द्वारा अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति दी गई। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) के द्वारा दिनांक 26.09.2013 को अभियांत्रिकी संवर्ग में कुल पद घोषित किये गये, जिसमें अतिरिक्त मुख्य अभियंता के 4 नये पद सृजित किये गये, जिसमें 2 पद एक्स कैडर के और इसी प्रकार अधीक्षण अभियंता के 6 नये पद सृजित किये गये, जिसमें 3 पद एक्स कैडर के और इस प्रकार आदेश दिनांक 26.09.2013 के द्वारा जेडीए कार्मिकों से उक्त पद भरे गये, जिसमें 4 अभ्यर्थी अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध पदोन्नत किये गये। उनका कथन है कि एक्स कैडर पदों पर जेडीए द्वारा जेडीए के कार्मिकों के लिये विचार किया गया। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा जेडीए को लिखा गया पत्र दिनांक 17.03.2017 जिसमें स्पष्ट है कि 2 पद मुख्य अभियंता/निदेशक, अभियंता कैडर में और आदेश दिनांक 04.10.2013 के अनुसार 2 पद एक्स कैडर के लिये। जहां तक अतिरिक्त मुख्य अभियंता का संबंध है, 7 पदों में से 2 पद एक्स कैडर के लिये, 1 विद्युत विंग के लिये। ठीक इसी प्रकार अधीक्षण अभियंता कैडर में कुल 14 पद जिसमें 3 पद एक्स कैडर पद थे, जो पत्र दिनांक 17.03.2017 से प्रकट होता है। प्रत्यर्थी विभाग ने जेडीए कार्मिकों के लिये एक्स कैडर पद माने और एक्स कैडर पदों के विरूद्ध आदेश दिनांक 26.09.2013 के द्वारा अभ्यर्थियों को पदोन्नति दी गई, जैसे श्री वी.एस.सुंधा एवं अरविन्द आर्या को पदोन्नति दी गई। आदेश दिनांक 26.09.2023 जिसके द्वारा दो व्यक्ति श्री जे.पी.सिंघल एवं आर.एल.जाजू जिनको जेडीए से बाहर के लोगों को पदोन्नति दी गई और इसी प्रकार रिक्ति वर्ष 2014–15 में 1 पद उपलब्ध था, जिसमें जेडीए कार्मिक श्री लाल मीणा को अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर रिक्ति वर्ष 2014–15 के विरूद्ध आदेश दिनांक 11.07.2014 के द्वारा पदोन्नत किया गया और इसी प्रकार वर्ष 2018–19 में 3 अभ्यर्थी जेडीए के कार्मिकों को एक्स कैडर पद मानते हुये अतिरिक्त मुख्य अभियंता पद पर पदोन्नत किया गया। वर्ष 2018–19 तक जेडीए के एक्स कैडर पदों पर जेडीए के कार्मिकों पर विचार किया गया। परंतु वर्ष 2019–20 एवं वर्ष 2020–21 के लिये मुख्य अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के लिये डीपीसी आयोजित की गई, परंतु जेडीए कार्मिकों के लिये एक्स कैडर पदों पर विचार नहीं किया गया और वर्ष 2018–19 के बाद उक्त पदों को जेडीए से बाहर के कार्मिकों द्वारा भरा गया। जबकि वे जेडीए के कार्मिक नहीं हैं और आदेश दिनांक 27.04.2023 के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने कथन किया है कि जेडीए कार्मिकों

के लिये एक्स कैडर पदों को माना जाना गलत है और जो जेडीए कार्मिकों को एक्स कैडर पद पर पदोन्नति दी गई है, उन्हें वापिस उसी पद पर रिवर्ट करने का निर्णय लिया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अधिकरण ने अंतरिम आदेश पारित किया है। उनका कथन है कि वर्तमान मामले में जेडीए मूल विभाग में और जेडीए ने कैडर स्ट्रेंथ घोषित किया है, जिसमें वर्ष 2013–14 से कुछ कैडर पद और कुछ एक्स कैडर पद हैं और एक्स कैडर पद केवल जेडीए के कार्मिकों के लिये वर्ष 2018–19 तक विचार किये गये हैं, परंतु वर्ष 2018–19 के बाद आदेश दिनांक 27.04.2023 के द्वारा यू–टर्न लेते हुये रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध पदोन्नतियां जो एक्स कैडर के विरूद्ध की गई हैं, उन पर पुनः विचार किया जायेगा और उन पदों पर भी जेडीए के बाहर के कार्मिकों को पदोन्नति दी जायेगी।

उनका यह भी कथन है कि आदेश दिनांक 26.09.2013 को यह स्पष्ट किया गया कि पदोन्नतियां जेडीए के सेवा नियमों के अनुसार की जायेंगी और आर्थिक भार भी जेडीए उठायेगा तथा राज्य सरकार किसी भी तरह की सहायता नहीं देगी। इससे स्पष्ट है कि एक्स कैडर पद जेडीए के पद हैं। जब दिनांक 26.09.2013 को एक्स कैडर पदों पर सृजन किया गया तो वह पद आरयूआईडीपी, डीएलबी, आरयूआईएफसीओ, यूआईटी, यूआरवी, जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं अजमेर विकास प्राधिकरण में भरे जायेंगे, परंतु रिक्तियां जेडीए के कार्मिकों के लिये जेडीए की होंगी। बाहर के कार्मिकों के लिये पदोन्नतियों के लिये नहीं और इस प्रकार जेडीए के कार्मिक एक्स कैडर पदों के विरूद्ध पदोन्नति प्राप्त करने के हकदार हैं। प्रावधानानुसार जेडीए की एक्ज्यूक्यूटिव कमेटी है जो पदों का सृजन एवं समाप्त अथवा स्वीकृत करती है और वर्ष 2014 में पद सृजित भी किए, जिसमें एक्स कैडर पदों पर जेडीए कार्मिकों की पदोन्नति पर विचार किया गया। परंतु दो अलग–अलग आदेश जिनके द्वारा एक्स कैडर पदों पर जेडीए से बाहर के कार्मिकों को पदोन्नति दी गई। इस प्रकार आदेश दिनांक 27.04.2023 पूर्ण रूप से विधि एवं नियमों के विरूद्ध है। उनका यह भी कथन है कि जेडीए का कैडर स्ट्रेंथ एवं यूडीएच विभाग ने पृथक–पृथक घोषित किये हैं और इस प्रकार जेडीए का कार्मिक यूडीएच विभाग के पदों के विरूद्ध पदोन्नत नहीं किया जा सकता और यूडीएच कार्मिक को जेडीए कैडर स्ट्रेंथ के विरूद्ध पदोन्नत नहीं किया जा सकता और इस प्रकार अधीक्षण अभियंता की वरिष्ठता सूची दिनांक 18.05.2023 को जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 4 पर अंकित है। मुख्य अभियंता के 2 पद जेडीए कार्मिकों के लिये घोषित किये गये, जो वित्त विभाग के आदेश दिनांक 05.10.2023 के द्वारा

स्वीकृति दी गई। मुख्य अभियंता कैडर के 2 पद उपलब्ध हैं और यदि 2 अभ्यर्थी मुख्य अभियंता कैडर में पदोन्नत होते हैं तो अतिरिक्त मुख्य अभियंता वर्ग में 2 पद उपलब्ध होंगे, जिसमें एक व्यक्ति श्री बाबूलाल जाट का पहले ही निधन हो गया और इस प्रकार अतिरिक्त मुख्य अभियंता के 3 पद उपलब्ध हैं और इस प्रकार अपीलार्थी अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर रिक्ति वर्ष 2023–24 के विरूद्ध पदोन्नति पाने का हकदार है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग जेडीए के एक्स कैडर पदों को जेडीए के कार्मिकों के लिये नहीं मान रहा है और इस प्रकार उक्त पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया जायेगा, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 27.04.2023 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2023–24 के विरूद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण के पदों के विरूद्ध अतिरिक्त मुख्य अभियंता सिविल के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये प्रतिवाद किया है कि पत्र दिनांक 08.08.2013 के द्वारा 2 पद अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु नगरीय विकास विभाग, जयपुर को प्रस्ताव भेजा गया और जेडीए के पत्र दिनांक 03.09.2013 संयुक्त प्रशासनिक सचिव तृतीय को 2 पद के बजाय 6 पद स्वीकृति हेतु भेजा गया और इस प्रकार नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 26.09.2013 के अनुसार पूर्व में 2 पद के अतिरिक्त 2 एक्स कैडर पद जारी किये गये, जिसमें 6 पदों के लिये डीपीसी द्वारा नगरीय विकास विभाग आदेश द्वारा 2 अभियंता श्री विरेन्द्र सिंह एवं श्री अरविन्द आर्या को पदोन्नति दी गई और 4 अभियंता श्री जे.पी.सिंघल, राजकुमार, रतनलाल, बी.डी.शर्मा जिनकी 2 अलग–अलग आदेश जारी किये गये और उन्हें एक्स कैडर पदों के विरूद्ध पदोन्नत किया गया। डीपीसी दिनांक 11.12.2023 को आयोजित की गई, जो जेडीए कैडर के पदों के लिये की गई और इस प्रकार उक्त मामला अपीलार्थी की सेवा संबंधित विवाद का है, जो अधिकरण के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत करते हुये बहस की है कि कुल कैडर स्ट्रेंथ दिनांक 28.09.2013 को जिसमें सहायक अभियंता कैडर में 2 पद एक्स कैडर पद थे, जो जेडीए कार्मिकों के लिये विचार

किये गये और राज्य सरकार द्वारा लिखे गये पत्र दिनांक 17.03.2017 से स्पष्ट है और वर्ष 2018 तक एक्स कैडर पद जेडीए के कार्मिकों द्वारा भरे गये, परंतु अचानक प्रत्यर्थी विभाग यू–टर्न लेते हुये एक्स कैडर पद जेडीए से बाहर के कार्मिकों द्वारा भरे जायेंगे। इस प्रकार जेडीए से बाहर के कार्मिकों द्वारा कुछ पद भरे गये। अतः अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि एक्स कैडर पदों पर जेडीए के कार्मिकों के नाम पर ही पदोन्नति हेतु विचार किया जावे। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति जयपुर विकास प्राधिकरण में कनिष्ठ अभियंता के पद पर दिनांक 06.01.1994 को अनुसूचित जाति वर्ग से हुई थी और अपीलार्थी को आदेश दिनांक 19.02.2004 के द्वारा सहायक अभियंता के पद पर तथा आदेश दिनांक 13.04.2010 के द्वारा अधिशाषी अभियंता तथा रिक्ति वर्ष 2014–15 के विरूद्ध आदेश दिनांक 22.12.2015 के द्वारा अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति दी गई। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) के द्वारा दिनांक 26.09.2013 को अभियांत्रिकी संवर्ग में कुल पद घोषित किये गये, जिसमें अतिरिक्त मुख्य अभियंता के 4 नये पद सृजित किये गये, जिसमें 2 पद एक्स कैडर के और इसी प्रकार अधीक्षण अभियंता के 6 नये पद सृजित किये गये, जिसमें 3 पद एक्स कैडर के और इस प्रकार आदेश दिनांक 26.09.2013 के द्वारा जेडीए कार्मिकों से उक्त पद भरे गये, जिसमें 4 अभ्यर्थी अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध पदोन्नत किये गये। एक्स कैडर पदों पर जेडीए द्वारा जेडीए के कार्मिकों के लिये विचार किया गया। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा जेडीए को लिखा गया पत्र दिनांक 17.03.2017 जिसमें स्पष्ट है कि 2 पद मुख्य अभियंता/निदेशक, अभियंता कैडर में और आदेश दिनांक 04.10.2013 के अनुसार 2 पद एक्स कैडर के लिये। जहां तक अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2023–24 के विरूद्ध अतिरिक्त मुख्य अभियंता सिविल के पद पर पदोन्नत हेतु आदेश दिये जाने का प्रश्न है, हम अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत हैं कि 2 पद एक्स कैडर के लिये है और 1 पद विद्युत विंग के लिये है। आदेश दिनांक 26.09.2013 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 03.09.2013 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में वित्त (व्यय–3) विभाग की सहमति अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण के अभियांत्रिकी संवर्ग में नियमानुसार 30 नवीन पद सृजन करने की स्वीकृति

निम्नांकित शर्तों के अध्ययधीन प्रदान की गई, जिसमें अतिरिक्त मुख्य अभियंता के नवीन सृजित किये जाने वाले पद की संख्या 4 है और जिसमें से 2 पद एक्स कैडर के है और इसी प्रकार आदेश दिनांक 04.10.2013 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अतिरिक्त मुख्य अभियंता का 1 पद जयपुर विकास प्राधिकरण के लिये है। अपीलार्थी जयपुर विकास प्राधिकरण का ही कार्मिक है और जयपुर विकास प्राधिकरण के पदों के विरूद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण के बाहर के कार्मिकों को पदोन्नति दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। चूंकि आदेश दिनांक 26.09.2013 एवं 04.10.2013 से स्पष्ट है कि जयपुर विकास प्राधिकरण में अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद जयपुर विकास प्राधिकरण के पद अस्तित्व में हैं, जिन्हें उक्त आदेशों के द्वारा सृजित किये गये हैं और इस प्रकार उक्त पदों के विरूद्ध अपीलार्थी को पदोन्नति दिया जाना उचित प्रकट होता है। इस प्रकार उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा आलोच्य आदेश दिनांक 27.04.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि यदि अपीलार्थी अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर रिक्ति वर्ष 2023–24 के विरूद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण के पदों के विरूद्ध पात्र पाया जाता है तो उसे उक्त पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे। प्रत्यर्थी विभाग उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से एक माह में सुनिश्चित करे। अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 21.12.2023 की पुष्टि (confirm) की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य